(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3765-III/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–09–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जावरा जिला रतलाम, प्रकरण क्रमांक 26 / 2013–14 / अपील.

सीताबाई पिता हरिराम
निवासी ग्राम हसनपालीया तहसील पिपलौदा
हाल मुकाम पिपलौदा जिला रतलाम

..... आवेदक

विरूद्ध

1–लीलाबाई पति उदाजी चमार ग्राम हसनपालीया तहसी पिपलौदा
2–बबली पति उदाजी चमार ग्राम हसनपालीया तहसी पिपलौदा
3–ताराबाई पति उदाजी चमार ग्राम हसनपालीया तहसी पिपलौदा
4–कमला पति उदाजी चमार ग्राम हसनपालीया तहसी पिपलौदा
5–फुला पिता हरिराम चमार ग्राम हसनपालीया तहसी पिपलौदा
6–सम्पतबाई पति पन्नालाल निवासी चमारीया नाका रतलाम
7–चन्दा पति पन्नालाल निवासी चमारीया नाका रतलाम
8–ललीताबाई पति पन्नालाल निवासी चमारीया नाका रतलाम
9–आशाबाई पिता पन्नालाल निवासी चमारीया नाका रतलाम
10–इन्द्रा पिता पन्नालाल निवासी चमारीया नाका रतलाम
11–बबली पिता तुलसीराम चमार
12–पिंकी पिता तुलसीराम चमार
13–भुलीबाई पिता तुलसीराम चमार
कमांक 8, 9, 10 नाबालिग होने से इनकी सरपरस्त इनकी माता तेजीबाई की मृत्यु होने जाने से इन्हें बिना सरपरस्त प्रतिप्रार्थी बनाया गया है ।
समस्त निवासी ग्राम हसनपालीया तहसील पिपलौदा

..... अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री पुखराज सोनकर, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 6 से 10
श्री नासीर खान, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 11 से 13

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जावरा जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–09–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 6 लगायत 10 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–8–10 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–9–15 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि भूलीबाई, पिंकी एवं बबली नाबालिग है और उनकी सरपरस्त की भी मृत्यु हो चुकी है अतः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि भूलीबाई, पिंकी एवं बबली बालिग है । इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बालिग मानने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी की आदेशिका दिनांक 11–6–15 में अनावेदक कमांक 7 के मृत होने का उल्लेख है परन्तु उनके वारिसान की जानकारी बिना मंगाये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदक कमांक 6 लगायत 10 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि भूलीबाई, पिंकी एवं बबली बालिग हो चुकी है ऐसी स्थिति में संरक्षक नियुक्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही की गई है । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण लबित रखने के उद्देश्य की गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

5– अनावेदक कमांक 11 लगायत 13 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्वयं अनावेदक कमांक 8, 9 व 10 द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर अपने आप को बालिग बताया गया है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

6– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक इंद्रा आदि को उनके स्वयं के शपथपत्रों के आधार पर बालिग माना है । इन शपथपत्रों के खण्डन में कोई अन्य प्रमाण/साक्ष्य या खण्डन शपथपत्र पेश नहीं किया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी जावरा जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–09–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.